भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2686

08.04.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु योजना

2686. **श्री पी.सी. मोहन:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत अनुमोदित या आवेदन करने वाली किसी कंपनी ने बेंगलुरू सहित कर्नाटक में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने या उनका विस्तार करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो इस हेतु प्रतिबद्ध निवेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में प्रस्तावित ऐसी किसी भी सुविधा पर लागू घरेलू मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा क्या है और निर्धारित स्थानीयकरण स्तरों को प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक में सृजित होने वाली विनिर्माण क्षमता और रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के कार्यान्वयन ढांचे के अंतर्गत ऐसे निवेश के लिए भूमि, अवसंरचना और अन्य सहायता को सुकर बनाने में कर्नाटक राज्य सरकार हेतु परिकल्पित भूमिका क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने संबंधी स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) को वैश्विक इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करने तथा भारत को इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया था। एसपीएमईपीसीआई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अनुमोदित आवेदकों को भारत में न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ई-चौपहिया के विनिर्माण के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करनी होंगी तथा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी किए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर उनका प्रचालन शुरू करना होगा और उन्हें तीन वर्ष के भीतर न्यूनतम 25

प्रतिशत तथा पांच वर्ष के भीतर न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना होगा।

एसपीएमईपीसीआई के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने हेतु आवेदन विंडो दिनांक 21.10.2025 तक 120 दिनों की अवधि के लिए खुली थी। तथापि, उक्त अवधि के दौरान कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(घ): एसपीएमईपीसीआई के कार्यान्वयन हेतु, दिनांक 15.03.2024 की एसपीएमईपीसीआई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुपूरक के रूप में विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 02.06.2025 को जारी किए गए थे, एसपीएमईपीसीआई के अंतर्गत सीमा शुल्क में छूट के लाभ के संबंध में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तथापि, राज्य सरकारें विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) से संबंधी विभिन्न पहलों के माध्यम से विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना को सुगम बना सकती हैं।

*****